"5 P

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015

Tarun Kumar

.....Petitioner.

VERSUS

The State of Bihar & Ors.

.....Respondents.

Sub: - Karrovel Mon Goraber

INDEX

| No. | | Particulars | Page |
|-----|------------|---|---------|
| 1. | An a | pplication with Affidavit. | No. |
| 2. | Annexure-1 | A Photocopy of letter No. बि०एम० डी०एम० 05/08-66 | 1 to 20 |
| 3. | Annexure-2 | A Photocopy of Clause 4, Clause 5 and Clause 6 | 99.2 |
| 4. | Annexure-3 | A Photocopy of list dated 19.12.2010 | 90 |
| 5. | Annexure-4 | A Photocopy of appointment letter | 91 |

| 6. | | VAKALATNAMA | |
|----|-------------------|--|-------|
| 9. | Annexure-8 Series | A Photocopy of application & receipt of registered post. | 37-32 |
| 8. | Annexure-7 | A Photocopy of Clause VI of the guideline | 2932 |
| 7. | Annexure-6 | A Photocopy of letter dated 16.12.2013 | 2P |
| 6. | Annexure-5 | A Photocopy of letter dated 31.10.2012 | 27 |

,

١

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015

Tarun Kumar

.....Petitioner.

VERSUS

The State of Bihar & Ors.

.....Respondents.

SYNOPSIS

Reliefs Sought for :-

This is an application for issuance of writ in the nature of certiorary for quashing the order dated 16.12.2013 passed by S.D.O. Udakishunganj vide letter No. 36932. The order itself illegal arbitrary, capricious full of partiality, null and void passed contrary to the appropriate guideline and procedure.

Annexure-1 is the letter dated 01.02.2010 issued by Planning Director vide letter No. বিতিত্সত হীতত্সত ০5/০৪-66 for completing the selection process of

- Vikas Mitra in accordance with as per guideline and work project.
- Annexure-2 provide the process for determination of majority no. of Mahadalit caste, publication of provisional list, process for filing objection and its abrogation. After abrogation publication of final list for following aforesaid and process period is prescribed.
- Annexure-3 is the publication of final list under Udakishunganj Sub division dated 19.02.2010.
- Annexure-4 is appointment letter of the petitioner dated 26.03.2010.
- Annexure-5 is the renewal letter of service of the petitioner dated 31.10.2013.
- Annexure-6 is letter dated 16.12.2013 whereby and where under withoutfollowing the procedure for publication of majority no. of Mahadalit list provided in Annexure 2 S.D.O. Udakishunganj making favour to the Respondent No. 8 has passed that Musahar 15

in majority in Mahadalit Caste than others after taking or making favour to the Respondent No. 8 and directed the B.D.O. Puraini to remove the petitioner and fill up the vacated post of Vikas Mitra within 18.12.2018 to 24.12.2013. The S.D.O. has no authority to pass removal letter.

- Annexure-7 is the guideline for selection and removal of Vikas Mitra.
- Annexure-8 Series is the representation filed by the petitioner for consideration of his grievance even he also approached to the Lok Adalat with his complaint but no any authority and Lok Adalat has decided his case.

Hence this writ is filed for redressal of his grievance.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.of 2015

In the matter of an application under Article 226 of Constitution of India.

AND

In the matter of:-

Tarun Kumar, Son of Shree Hira Ram, Resident of Village and P.O. - Kurshandi, P.S.-Puraini District-Madhepura.

.....Petitioner.

VERSUS

1. The state of Bihar through the Chief Secretary, Bihar, Patna.

- 2. Director of Planning, Bihar Mahadalit Vikash Mission, Bihar, Patna.
- 3. Additional Director of Welfare, Bihar, Patna.
- 4. District Magistrate, Madhepura.
- 5. District Planning Officer, Madhepura.
- 6. Sub Divisional Welfare Officer (Mahadalit in charge), Udakishunganj.
- 7. Sub Divisional officer, Udakishunganj.
- 8. Vivekanand Sada, Son of Shree Mahendra Sada, Village - Balia, P.O. - Naya Tola, P.S. - Puraini, District -Madhepura.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. L. Narasimha Reddy
the chief Justice of the Patna High Court

of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition
on behalf of
Petitioner above
named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH: -

1. That this an application for is issuance of an appropriate writ / writs, order orders, direction/directions in the nature of certiorari for quashing, the letter dated 16.12.2013 passed by S.D.O., Udakishunganj vide letter No. 36932, whereby and where under the petitioner has been arbitrarily removed from post of Vikas Mitra without giving opportunity to the petitioner to

represent his case. The order itself void as per guideline and work project (dk;Z ;kstuk) provided for the selection and removal of Vikas Mitra and any other relief / reliefs as on the basis of facts and circumstances of the case stated herein below.

- 2. That the substantial question involved in the present writ application are as follows:-
 - Whether or not the respondent authorities are justified by removing arbitrarily to the petitioner from the post of Vikas

Mitra without any fault on his part ?

- (II) Whether or not the respondent authorities are justified removing the petitioner against the guidelines provided for the selection and removal of the Vikas Mitra ?
- (III) Whether or not the respondent authorities are justified to remove the petitioner without giving the petitioner anyopportunity to be heard.
- (IV) Whether the impugned order has been passed in utter violation of principle of natural Justice ?
- (V) Whether or not the respondent authorities are justified by

removing the petitioner on his own fault and passed, illegal order giving favour to the Respondent.

- 3. That the petitioner is a citizen of India and residing within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
- That it is stated and humbly submitted that the Bihar Government has taken a policy decision to start Mahadalit Vikas Mission for the development of Schedule Caste and to provide employment namely Vikas Mitr'a to eligible person belonging to Mahadalit community on the contract basis rural area the in each panchayat from urban area in each ward.
- 5. That it is stated and humbly submitted that for the purpose of selection of

Vikas Mitra guideline has provided whereby and where under process for selection, eligibility, Honorarium, training elevation, period of employment and removal process, duties of Vikas Mitra and liability of B.D.O., executive Officer has been explained.

- that it is stated and humbly submitted that for the purpose of selection of Vikas Mitra an work project has been also provided by the S.C. and S.T. Welfare Department whereby and where under various steps period has given for following the selection process of Vikas Mitra.
- 7. That it is stated and humbly submitted that a letter dated 01.02.2010 is issued by the Planning Director, Bihar

Mahadalit Vikas Mission, Bihar, Patna vide letter No. विоएно डीоएно о5/08-66 whereby and where under it is stated that complete the selection of Vikas Mitra, following the determined process with priority basis within stipulated period given in the guidelines of work project.

A Photocopy of letter dated 01.02.2010 is annexed as Annexure-1 to this petition.

- 8. That it is stated and humbly submitted that under the revised work project period has prescribed for taking steps in the selection process of Vikas Mitra.
- 9. That it is stated and humbly submitted that during prescribed period appropriate steps for determination of majority no. of Mahadalit Caste and preparation of list has provided at

Clause 4 of the work project Clause 5 period prescribed for recommendation orapproval and publication of list provisionally majority Mahadalit Caste Clause provided the period for filing objection and abrogation on the determined majority no. οf Mahadalit Caste and after abrogation of objection publication of list of cast Majority.

A Photocopy of Clause 4, Clause 5 and Clause 6 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ application.

10. That it is stated and humbly submitted that after taking aforesaid steps a list of Majority of Mahadalit was

published 19.12.2010 onwhereby and where under Block Wise majority Mahadalit under Udakishunganj division for selection of Vikas has been shown.

A Photocopy of list dated 19.12.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this application.

11. That it is stated and humbly submitted that after publication of majority list of Mahadalit the process for appointment of Vikas Mitra has taken place and the petitioner has been appointed as Vikas Mitra. The appointment letter had been supplied or given to the petitioner on 26.03.2010.

A Photocopy of appointment letter is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this application.

12. That it is stated and humbly submitted that the petitioner had done satisfactorily therefore he was further considered for the post of Vikas Mitra his appointment was renewed vide letter No. 3863 dated 31.10.2012. A letter in this regard has been sent to the petitioner till 3.10.12 no objection has raised. by the authorit ${f y}$ concerned by any Mahadalit Caste or regarding Majority point.

A Photocopy of letter dated 31.10.2012 is annexed herewith and

marked as Annexure-5 to this application.

13. That it is stated and humbly submitted that the petitioner had been further appointed as Vikas Mitra and done work satisfactorily peacefully and with devotion till 16.12.2013. No any complaint made against the petitioner by the respondent authorities. All of a sudden a letter was issued by the Sub Divisional Officer vide letter No. 3693 dated 16.12.2013 removal of the petitioner on the point of majority of Mahadalit Caste and at Paragraph 2 of the aforesaid letter it is stated that the Musahar is higher majority than in Mahadalit without following the procedure provided consideration ofmajority no. Mahadalit caste and publication of final list given in Clause 5 and 6 of the war project only for giving favour Respondet. of the Caste and at Paragraph 5 of the aforesaid letter B.D.O.,

Puraini has directed to remove the petitioner because he has not belong to majority in number of Mahadalit Caste and take steps for fresh appointment on the vacant post within 18.12.2013 to 24.12.2013.

A Photocopy of letter dated 16.12.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this application.

14. That it is stated and humbly submitted that the order of removal οf the petitioner passed by the Sub-Division $_{ ext{d}}$ 1 Officer dated 16.12.2013 vide letter No. 36932 is itself void. S.D.O. has ηo power to pass removal of Vikas Mitta order in his own signature. The $remov_{\hat{\mathfrak{d}}}$

against guideline provided is for the selection and removal of Vikas Mitra. period during which Vikash Mitra has been employed and process for removal of Vikas Mitra has been stated at Clause VI of the guideline. According to which District Planning Officer has only authority to remove Vikas Mitra on the consent of the District Officer. Only giving favour to the respondent the latter dated 16.12.13 been issued.

A Photocopy of Clause VI of the guideline is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this application.

15. That it is stated and humbly submitted that the determination of Mahadalit Caste was prepared and approved by the

authorities concerned as stated at column 2 of Clause 4 of work project and period was also prescribed at same Clause. No interruption interference made or tampered with the preparation of the list by the petitioner. There is fault on the part no of petitioner. Petitioner is quite innocent has suffered for the act done by respondent authorities. No opportunity given to the petitioner although was sub clause 8 of clause III of guideline provided for taking action accordance with law.

16. That it is stated and humbly submitted that the petitioner has done work since 2010 to 2013 his service was renewed in the year 2012 and he was further

considered for continuation. And till 2012 no any objection has raised action has taken and at the for end of the year 2013 the petitioner has removed from his post with malafide intention giving favour 'of the Respondent No. 8.

17. That it is stated and humbly submitted that being aggrieved by the order dated 16.12.2013 petitioner has filed application and sent by registered post before the D.M., Madhepura, Mantri Kalyan Bibhag, Patna. Mahadalit Vikas Mission, Patna 31.12.2013. But till date his application has been not considered by the aforesaid authorities. Не approached to the Adalat on 19.12.2013 Lok but till date his case has also not been decided. Therefore petitioner filed this writ

application for the redressal of his grievance.

Α Photocopy of application & receipt of registered post are annexed herewith and marked as Annexure-8 Series to this application.

18. That it is stated and humbly submitted that the order dated 16.12.2013 is illegal, arbitrary, malafide, suffering from partiality, null & void, abuse of the power of his post and against the constitutional provision.

It is therefore prayed that
your Lordship's may
graciously be pleased to

issue rule NISI calling upon the respondent authorities to show cause as to why the writ application be admitted or disposed of at the time of admission stage itself and on return of the rule, is not sufficient cause is shown, make the rule absolute, allow application and after writ hearing the parties bе further pleased to command the respondent to provide the relief sought as for which petitioner is entitled in accordance with law quash the order dated 19.12.2013 passed bу

S.D.O., Udakishunganj vide letter No. 36932.

And / Or

Pass such other order(s) as your lordships may deem fit and proper.

And

During pendency of writ application stay the operation of further appointment.

And for this the Petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

- I, Tarun Kumar, aged about 26 years Son of Shree Hira Ram, Resident of Village and P.O. Kurshandi, P.S.-Puraini District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-
- 1. That, I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
- 2. That, the contents of this affidavit and petition have been read and explained to me in Hindi which I have fully understood and the same are true to my knowledge and belief.
- 3. That, the statement made in Paragraph No. 1 to 6, 8, 15, 16 and 18 are to my knowledge and those are mentioned in Paragraph No. 7, 9 to 14 and 17 are true to my information derive from the record and rest are by way of submission.
- 4. That, the Annexure are photocopy of their originals respectively.

तरनण कुमार

अनु जाति एवं अन् जनजाति कल्याण विमाग

बिहार महादलित विकास मिशन

मुख्यमंत्री सचिवालय.

शाखा कि कि कि १४ विश रत्न मार्ग बिहार, पटना



FEB 2010

पत्रांक सं०-बि०एम०डी०एम०/०५/०८-८८

डां. एन.सरवण कुमार, भा.प्र.सं. परियोजना निदेशक बिहार महादलित विकास मिशन बिहार , पटना ।

सभी जिला पदाधिकारी

विषय: विकास मित्र के चयन से संबंधित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना प्रेषण के संबंध में।

महाश्य

ानुंबल विषय के संबंध में कहना है, कि पत्रांक 41 दिनांक 19/01/2010 के माध्यम

ं मर्भादाशंका एवं कार्ययाजना प्रेपित की गई थी । कार्ययोजना की कंडिका –1

ं उत्लाखित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजना 29/01/2010 को किया गया। उक्त कार्यशाला में विमंश के उपरान्त मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना में आंशिक बदलाव किये गये हैं।

ानित मार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना प्रेपित की जा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रापत पुनसाक्षत गार्गदर्शिका एवं कार्ययोजना के आलोक में विकास मित्र की चयन की प्रक्रिया निर्धारित संस्थावधि में सर्वोच्छ प्राथमिकता दे कर पूर्ण कराने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

कारों ने 168-2 कि दिनोक 22-2-10

परियोजना निदेशक

भागाना भाषा अभिन्य पद्माला कारी मध्युत तिहा । उद्मिन्न भागा भ पर्ये प्राक्तिकार कि निर्मा विकास निर्मा / व का भ्रचलाय एवं क्षानुका नक भिर्म अवश्रमक काति

प्रचायतो बहुलता महादलित जाति के 메기 जनसञ्चा निर्घारण कर सूचि /वार्ड (शहरी) को (ग्रामीण) 1. विकास मित्र — महिला आरक्षण ∌

• विकास मित्र भयन में महादलित समुदाय की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित आयुक्त (शहरो) के लिए आरक्षित पंचायत रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व आर्थित रहेंगे। और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए से महिला मुखिया (ग्रामीण) एवं महिला वार्ड

• वार्ड (शहरी) में महादलित परिवार की 50 से का समूह बना कर विकास मित्र का चयन कम संख्या होने की स्थिति में वार्ड (शहरी) किया जाएगां, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत

(i) समूह में न्यूनतम एक एवं अधिकतम चार वार्ड (शहरी) होंगे।

(ii) चार वार्क्ड को मिलाकर 50 महादलित अधिकतम् चार वार्ड पर एक 'विकास परिवार |नहीं होने की स्थिति में भी मित्रं चुना जाएगा।

(iii)समूह वांगने के बाद महादलित जाति की चयन दिया जाएगा। बहुलता निर्धारित की जाएगी तदोनुसार

(iv)वार्ड (शहरी) के समृह ब्लाने के उपरांत उनम आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तो उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए,आरक्षित घोषित किया जाएगा। जनसंख्या वाला वार्ड अगर महिला वार्ड सबसे अधिक महादलित

> • आवश्यकतानुसार प्रखण्ड में पदास्थापित पदा. कर्मचारी का पदाधिकारी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, सहयोग लेकर जाति बहुलता का प्रखड विकास

10,02,2010

• प्रसुड करेंग आवश्यकतानुसार जाति बहुलता निर्धारण निर्धारण का कार्य पूरा करेंगे। में कार्यपालक पदाधिकारी का सहयाग विकास पदाधिकारी

• शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जाति बहुलता के निर्धारण का कार्य किया जाएगा।

अन्तर्गत महादलित जाति की बहुलता अनुमण्डल पदाधिकारी. अनुमण्डल का भ्रमण कर महादलित महादलित) अनुमण्डल वाले पंचायतों/वाडों की जाति बहुलता कराना सुनिश्चित करेंगे । जाति की बहुलता वाले पचायतों/वाडी मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे ! सूचि निर्धारित अवधि में पूरा कराने हेतु की बहुलता सूचि निर्धारित अवधि में पूरा कल्याव जल अन्तर्गत पदा. अनुमण्डल भार

पर्यवेक्षण करेंगे एव प्राधिकारी भ्रमण -जिला परियोजना आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान कर कार्य का

| जिल्लाकार | | महादलित जाति की बहुलता की सूची का अनुमोद एवं प्रकाशन | 5. औपबंधिक |
|------------|---|--|--|
| | | जाति म को अनु प्या प्या | 2. महादितित जाति बहुलता निर्धारण सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिव पंचायतवार (प्रामीण) / वार्डवार (शहरी) क्षेत्र किसी एक जाति की जाति बहुलता में सिमलित जातियों में निर्धारण करने के लिए निम्न सर्वक्षणों अवसार बना सकते हैं 1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मर्वेक्षण (अंचलाधिकारी द्वारा कराया) 2. मतदाता सूचि 3. पारिवारिक सर्वेक्षण प्राचि (प्राविति) प्रखंड स्तर पर किया गया हो तैयार किया गया हो तैयार किया गया स्वार्थ कर्वेन्द्र जनवारी जनवारी जनवारी के जनवारी जनवारी क्रांचा लिया व्या स्वार्थ क्रांचा क्रां |
| | | 12.02.2010 अनुमण्डल पदाधिकारी चयन समिति की उप-निदेशक बैठप की तिथि निर्धारित करेंगे । अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी (प्रमारी परियोजना वीच समन्वय स्थापित कर चयन की अनुमण्डल क पदाधिकारी के माध्यम भ्रमण कर कार्य का करेंगे। से निर्धारित करवा कर निर्धारित अवधि भ्रमण कर कार्य का करेंगे। वैत्र अनुमोदन एवं प्रकाशन सुनिश्चित प्रविक्षण करेंगे एवं करेंगे। करेंगे। करेंगे। करेंगे। | हारी स्था से |
| 01.02.2010 | 5 | जिला पदाधिकारी | |

| | | | , | | | | | |
|-------|--|--|------------------|--|--|--|--|--------------------|
| | अविदन पत्र प्राप्त करना | | | आपति निराकरण के उपरांत जाति बहुलता सूची का प्रकाशन | निराकरण | (कलस्टर) (के निर्धारण आपति | े नहासाल की बहुर पंचायतों / वार्ड | ह <u>महारक्षित</u> |
| ÷. | प्राप्त | • | - Taketongary AC | राकरण रूची का | |) (शहरी) रिण पर एवं | की बहुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) /वार्ड समृह | |
| | अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्र.वि.पदा | अवेदन पत्र के प्रपन्न का प्रकाशन राज्य स्तर से समहार पत्रों के अलावे जिला, अनुपण्त, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय कार्याल्य के सूचना पद पर प्रकाशित किया जायेगा। | के य | अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी इस कार्य में अनुमण्डल पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग देंगे। | अनुमंडल पदाधिकारी महादिलत जाति की इंडुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) / वाडों (ग्राहरी) के निर्धारण पर प्राप्त किये गए अपित का निराकरण करेंगे। | स्थल – अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय | • उनुमण्डल पटाधिकारी महादलित जाति की बहुलता वाले पंचायतों (ग्रामीण) / वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) के निर्धारण पर आपिस प्राप्त करेंगे। | |
| Ø. | 22.02.2010 से 03.03.2010 तक | 22.02.2010 तक | | 20.02.2010 तक | | | 12.02.2010 से 14.02.2010 तक | को विक |
| | अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी (प्रमारी महादालेत) सभी प्रखण्डों में आवेदन पत्रों | आवेदन पत्र प्राप्त करने, पंजी का संधारण एवं आवेदन पत्रों के समुचित रख-रखाव के मुख्य जिम्मेवारी प्र.वि. पदा.(ग्रामीण)/कार्यपालक पदा. (शहरी) की होगी। | | अनुमंडल पदाधिकारी सूची का प्रकाशन करायेंगे। | | | संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व आपत्ति प्राप्त करना एवं उसका संतोषजनक निराकरण करना होगा। | |
| # 1 m | में पूरी की जायेगी। जिला परियोजन | आवंदन के जिला संबंधित सभी कर्य काधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी के | | | 9 4.1 X 19 1 | सूची राज्य मिल कार्यालय को तर्दे एवं सॉपट कॉपी | का जिला परि योजना का पदाधिकारी जातिगत ब दुत्वा की अंतिम स मेविन | |
| 0.00% | | जिता ाधिकारी | | | | | | |

Annexez

35 30

किरों - मध्यारा

बिहार महादलित विकास मिशन विकास भिन्न चयन : लाति बहुलता निर्धारण ३५% ह

प्रखण्ड स्तरीय प्रपन्न

| | | रखर । । र । नकारम । पुरना | |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ; 5 | चीयत याजं समूह(कलस्टरः (शहरी) | बहुतता वाली महादलित जाति का नाम | Special: |
| | पुरैनी | रविदास | ARM . |
| | . गणेशपुर | रविदास | Ho 1 |
| | नरदह | रविदास | -समान्भ |
| | <u>जुरसंडी</u> | र्रावेदास | (III) |
| | सर्गरुधस | नुसहर | महिला |
| | औराध | | |
| | હુલાંધુર | रिविदास 🗴 | क्षाणानम् असरहने के प्राप्तानिक विद् |
| | भारत मधुर | मुसहर | Chores arising a se |
| | वंशगंजात . | मुसहर | anim |

Se mfargers 19102110

ण्डंह कल्याण पहाधिकारी

经5.

ं । स्वस्य स्वित् छदाकिश्वनगज

अनुमुख्त पदाणकारः

क्रिश्न विश्व

Sd PHILLIPS SICT OF 1299

21707062150: 101 H-8

AMBARET ALL TOLLARS

नियोजन पत्र

| *श्री / श्रीनाति | |
|------------------------------------|------------------------------|
| पिता / प्रति का नाम | तक्रण कुमार मी ठीवा राम |
| ग्राम | |
| <u> प्रोक्स</u> | ुरसण्डी |
| पंचायत / वार्ड प्रमूह (बलवर) (शहर) | सुरस्परी |
| TITUTE / CORP. ASSET-AND | |
| 3 To harmonia | अवाट पुरेनी |
| 3 1001 | उदाकिम्नानरीज जिला मध्येपुरा |

आपको सूचित किया जाता है कि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना, के पत्रांक 41

दिनाक 19.01.2010 के आलोक एवं दिनांक 16.03.2010 को प्रकाशित चयन सूची के आधार पर आपका चयन पंचायत वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) कुरकारी प्रखंड नगर निकाय पुरेती अनुभंडल उढािक धुनर्रेज जिला मध्येपुरा मं निम्निखित नियम एवं शतों पर संविदा आधारित नियोजन विकास मित्र के रूप में किया जाता है...

- विकास मित्र अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लागुकों के बीच कड़ी का कार्य करेंगे।
- 2. विकास मित्र का संविदा पर नियोजन 11 (ग्यारह) महोनां के लिये किया गया है। संतोषप्रद कार्य के आधार पर मिशन द्वारा पुनः नियोजन पर निर्णय लिया जा सकता है।
- 3. विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा निर्वोजन के परवात् सनका वरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंडल या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुसंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति प्राप्त कर नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी दारा की जाएगी।
- ं प्रत्येक विकास मित्र की प्रतिमाह 3,000/- (तीम हजार) रुपये भागवेय, प्रखंड भिराम कार्यालय सं किया जाएगा।
- इ. संविदा आधारित नियोजित विकास मित्र द्वारा दी गयी जानकारी / प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर अनका नियोजन रदद कर दिया जाएगा।

स्थान **४६।कि.सुन्छान** विनांक २६-७९-२०१०

> भूति . १. १० अनुमंडल पदाधिकारी असिक ह्युनारीं अ

Annexue-5

अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज



प्रेषक,

अनुमंहल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

रोवा में.

जिला कल्याण पदाधिकारी, अधेपुरा।

दिनांक......अक्टूबर, २०१.२

विषय :-

विकास मित्रों के नियोजन नवीकरण के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी का पत्रांक- 607-2, दिनांक-15.06.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी के द्वारा अपने प्रखंड से निम्न विकास मित्रों का नियोजन नवीकरण हेतु प्रपत्र-10 में अधुशंसा के साथ विवरणी समर्पित किया है, जिसे नवीकरण कर प्रपत्र मूल में भेजा जा रहा है:-

| क्र0 | विकास मित्रों का नाम | पंचायत का नान | प्रखंड का नाम | अभ्युवित |
|------|----------------------|---------------|---------------|----------|
| | गिरो राम | जरदह | पुरेनी | |
| 2 | तरूण कुमार | कुरसंडी | पुरैनी | <u> </u> |

अतः अनुरोध है कि पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुसन्दकः :- यथोक्त।

विश्व सभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,

10.10.10 उदाविभ्युनगंज।

Annestare 6



अनुमंहल कार्यालय, उदाकिशुनगंज पत्रांक ५ ६ १५ /

प्रेषकः-

अनुमंहल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

पुरैनी ।

उदाकिशुनगंज, दिनांक...../८......दिसम्बर २०१३

विषय :-

विकास नित्र के पद पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

विहार महादक्ति विकास भिशन के पत्रांक - 1478, दिनांक 06.12.2013, पत्रांक 151 दिनांक 08.02.2012 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 999 दिनांक 09.12.2013 तथा पत्रांक 1015 दिनांक 13.12. 2013.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूवित करना है कि -

- आपके प्रखण्ड अन्तर्गत गाम पंचायत कुरसंडी में विकास मित्र के नियोजन से संबंधित जाति बाहुत्यता को लेकर जितेंब्र सादा एवं अजय कुमार सादा के हास शिकाधत की गई थी, से संबंधित प्रतिवेदन की मांग आपसे कि सई दी।
- 2. आवके प्रश्नंक 1203-2 दिनांक 01.11.2012 से प्रतिवंदन प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवंदित किया गया था कि उक्त पंचायत में मुसहर जाति की बाहुल्यता है से संबंधित प्रतिवंदन जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को मार्गदर्शन हेतु भेजा गया परंतु कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ।
- 3. पुनः इस कार्यालय के प्रत्रांक 1653-2 दिनांक 12.06,2013 को तत्संबंधी मार्गदर्शन के लिए रैआर पत्र भेजा गया था, तथापि कोई निदेश प्राप्त नहीं हुआ।
- 4. जिला कल्याण पंदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1015 दिनांक 13.12.2013 के दालोट में रिक्ट विकास नित्र के पद पर नियोजन करने से संबंधी पत्र प्राप्त है जिसमें नियोजन से संवंधित पदाधिकारी के रूप में अधोठस्ताक्षरी सक्षम हैं।
- अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया जाता है कि पूर्व के नियोजित विकास नित्र तरुण राम, पिता हीरा राम, कः चयन मुक्त किया जाता है तथा उनके स्थाब पर पुनः विकास नित्र के रिवेत के विरुद्ध दिनांक 18.12.2013 से दिनांक 24.12.2013 तक विहित प्रपन्न में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर विज्ञापन में वांधित मापदंडों के अनुरुप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, तथा नियोजन से संबंधित सभी दरावदेश दिनांक 05.01.2012 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगा.

(विश्वासभाजन

1103

अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।

16-12-13

A CALLAND

Anneque-7



'विकास मित्र' : चयन मार्गदर्शिका

I. विकास मित्र का चयन

महादिति समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड समूह (केलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) में जिस महादिलत जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

II.चयन हेतु योग्यता

- 1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
- 2. आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2010 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होगी।
- 3. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) में जिस्से महादलित जाति की बहुलता होगी जसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- 4 जिस पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं चयन किया जाएगा।
- 5 जिस पंचायत (ग्रामीण) में महादिलत परिवार की 50 से कम संख्या हो, यहाँ से विकास मित्र का चयन नहीं किया जाएगा एवं उसे भौगोलिक दृष्टि से निकटतम पंछायत. क्षेत्र से संयंद्ध कर दिया जायेगा।
- 6 वर्ष्ड (शहरी) में महादलित परिवार की 50 से कम संख्या होने की रिवार में वर्ष्ट (शहरी) का जाए (कलस्टर) बना कर विकास मित्र का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगे। —
- े(i) संगृह (कलस्टर) में भौगो<mark>लिक दृष्टिकोण से निकटतम, न्यूनतम एक ए</mark>व अधिकतम चार वार्ड (शहरी) होंगे।
- (ii) चार वार्ड को मिलाकर 50 महादलित परिवार नहीं होने की स्थिति-में भी अधिकतम चार वार्ड पर एक विकास मित्र चुना जाएगा।
- Y(iii)समूह (कलस्टर) बनाने के बाद महादलित जाति की बहुलता निर्धारित की जाएगी तदीन्सार वयन किया जाएगा।

III. चयन प्रक्रिया

 विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नवत रुप से कियां जाएगा :--

| क्र. सं. | प्द | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
|-------------|------------|---|---------------------|
| 1 | अध्यक्ष | अनुमंडल पदाधिकारी | अनुगंडल पदाधिकारी |
| 2 | सदस्य सचिव | अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल अंतर्गत पदस्थापित वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी | अनुगंडल कल्याण |
| 3 | सदस्य | प्रखंड विकास पदाधिकारी | कार्यपालक मदाधिकारी |
| 4 | सदस्य 🔑 | प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी | |

पुनरीक्षित . 01,02.2010

 अधिक संख्या में आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रैतिकत प्रः वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चत्तर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दियाँ

विकास मित्र चयन में महादलित समुदाय की 50 प्रतिशत महिलाओं के विष् आर्थिक पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से महिला मुखिया (ग्रामीण) एवं महिला वार्ड आहण के लिए आरक्षित पंचायत और वार्ड, महिला विकास मित्र के लिए आरक्षित रहेंगे । गर्ड (१९३०) समूह (कलस्टर) बनाने के उपरांत उनमें से सबसे अधिक महादलित जनसंख्या गला वाड उन्ह महिला वार्ड आयुक्त (नगर निकाय) के लिए आरक्षित है, तों उस वार्ड (शहरी) समूह को महिला के लिए आरक्षित घोषित किया जाएगा।

6. मेधा अंक का आकलन निम्नलिखित रुप से किया जायेगा।

| , | | गिना /गति | जन्म | पणीक | मैट्रिक या | प्राप्ताक | अभियुचित |
|----------------|-----|-----------|------|------|------------|-----------|----------|
| ं क्र. । | नाम | का नाम | निधि | | समकक्ष में | का | 1 |
| स. | | (p) (1) | | | प्राप्तांक | प्रतिशत | |
| 1 | İ | 1 | \ | 1 | 1 | | |

7. समान मेघा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएमी।

 वयन सूची में सर्वाधियः अंक प्राप्त व्यक्ति के अनुपलब्बता/योगदान नहीं वेने /दरनावेत के कि गण्य जाने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी मेधा सूची के नीचे के कम वाले अध्यक्षी में प्राप्तान न कार्रवाई करेंगे।

IV. मानदेय प्रत्येक विकास मित्र को प्रतिमाह 3000.00 (तीन हजार) रु० मानदेश प्रख्य भिराम कार्णसम किया जाएगा।

V. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण मेघा सूची के आधार पर चयनित विकास मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण / उन्नुखीकरण कार्वशाल का आयोजन अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। कार्यशाला में शपथ ग्रहण एवं नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा।

VI. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया

विकास मित्र का नियोजन 11 (ग्यारह) माह हेतु किया जायेगा तथा उसके बाद पुनः नियोजन प आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। विकास मित्र सरकारी सेवक नहीं माने जायेगे नियोजन के पश्चात् किसी भी समय उनके चरित्र एवं कार्य असंतोषप्रद होने की स्थिति में अनुमंड पदाधिकारी या जिला परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी की सहमति पाप्त व नियोजन समाप्त करने की कार्रवाई जिला परियोजना पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। नियोज समाप्ति पर मात्र कियं गए कार्य अवधि का ही मानदेय भुगतान देव होगाः

VII. विकास मित्र का <u>कर्त्तव्य</u> 'विकास मित्र' अपने-अपने कार्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्रशासन एवं लाभुकों के बीच कड़ी काम करेंगे तथा इस संबंध में विस्तृत कर्त्तव्यतालिका नियोजन के समय उपलब्ध करा ही लाएगी।

 $\sqrt{111}$. प्रखंड विकास पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का दायित्व

1. सभी महादलित टोलों, महादलित परिवार का सर्वेक्षण कराना एवं सर्वेक्षण के आधार पंचायतवार / वार्ड समूहवार (कलस्टर) (शहरी) जाति बहुलता निर्धारित करना।

2. सर्वेक्षण सूची का अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करना।

3. पंचायत / वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) सर्वेक्षण सूची एवं रिक्ति को प्रकाशित करना

4. आवेदनं-पत्र को प्राप्त करना एवं आवेदन पंजी को रख-रखाव करना।

म्हीमान स्पिट्या पद्माख्यकारी भव्यपुद्

1379 - 16/12/13 9/1 (4CE) 327 3 HA-4/1.

He1214:-

निवर्ण प्रवेश कारणा है। की प्रेमी मनवड़ अमानी हरसंडी पंचारम प्रे 26.3. 2010 की मिश्र मिश्र चमन (श्वेदास प्रक्रम) अहलामा श्रीणी अनुसा हुआ है/ मेत्रम न्तरता थियोग्य मेर विषय की की कार्या है। या प्रियो प्रियो मेर्टी त्र सभी के सभी अविश्व पारिका के भी मिनातामा क्रियोजान होन्य स्थुव प्रयायम्बा वाहुणता स्थला क्रे हिला वनाया न्याया या जिसके अठरूप भे आवेदन हिंगा था जाने लीकेन किना कीर्द कारण मुझार्म अर्थ प्रवंड विकास पदा० फरेनी ये मुझे 3693. Gnie 16,11,2013 का २०५४ दुससर विश्वीम कराया जिला की उसे निकासकी यह है यथा मेंगा करंग का कार्द्धा मात्म हुआ है। अपूर पत्र भे अलाव किया लाया है कर संडर्ट पंचायत में श्विताम की नहीं मुसहर की CHEWLIE MEND MAPLE FRANT HE PER PEN LA INDAPE रावेदास की वाहलता लागु होते रहे अव भियोमम ही त्यार साल वाद प्रक्षे यथा प्रमा क्रिया जारहा ही यह सरास्य जान्याय ही Ma: अीमाम सर्भार्थमा है। Colognisco 4610 mgnson 36168475 poisy of 43125 3693-2 (miso 16/12/13 an FICE ast of - DUT (2017 200)

मीमानका विश्वाली प्राथित तर्ग के मार विकामी के पंचायन कर्मेंगी पंचायन क्रिक्टी

(TICPSEN031)

सेवा में,

श्रीमान जिला पदाधिकारी मधेपुरा ।

विषय :- अनुमंडल पदाधिकारी उदािकशुनगंज के पत्रांक 3693-2 दिनांक 16.12.2013 को निरस्त करने के संबंध में । महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पुरेनी प्रेखंड अन्तर्गत कुरसंडी पंचायत में 26.03.2010 को विकास मित्र चयन (रविदास पुरुष) बठुलता श्रेणीअनुसार हुआ है ।

प्रथम चरण नियोजन में जितने भी अभ्यर्थी आवेदन किये थे । वे सभी के सभी रविदास परिवार के थे ।

विकासिमत्र नियोजन होने से पूर्व पंचायतवार बाहुलता सरकार के द्वारा बनाया गया था जिसके अनुरूप में आवेदन किया था और लेकिन बिना कोई कारण मुझसे पूर्व प्रखंड विकास पदा० फरेनी थे मुझे 3693 दिनांक 16.11.2013 का एक पत्र मुझसे रिलीभ कराया जिसमें की मुझे विकास मित्र पद से चयन मुक्त करने का आदेश प्राप्त हुआ है । और पत्र में उल्लेख किया गया है । कुरसींडी पंचायत में रविदास की नहीं मुसहर की बाहुलता है। जब कि जिस समय बाहुलता बनवाया गया था । जिससे रविदास की बाहुलता लागु होते रहे जब नियोजन से चार साल बाद मुझे चयन मुक्त किया जा रहा है । यह सरासद अन्याय है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अनुमंडल पदा० उदाकिसुनगंज के पत्रांक 3693-2 दिनांक 16.12.13 को निरस्त करने की कृपा किया जाए ।

> श्रीमान का विश्वासी तरूण कुमार विकास मित्र पंचायत कुरसंडी 'प्रखंड- पुरैनी

| | समाहरणालय, मधेपुरा | 1 |
|---|--------------------------------------|--------|
| | (जन शिकायत कोषांग) | Spirit |
| | पावती श्सीद | |
| | क्रमांक 4436 दिनांक <u>9'12'13</u> | |
| | 1. जन शिकायत क्रमांक 600 2 | • |
| | | |
| | 2. आवेदक का नाम पुर्व पता | |
| | 4(8) 51, gent, mery 28 | |
| ~ | 1/000 | |
| | Sam Digg | |
| • | | |
| | | |
| • | | |
| | प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि | |

•

SP MANAPARA COLLETORATE
EF546016942189
Counter Nort, CP-Code. NFW.
TonMANIRI KALYAN RINWA, KALYAN BIRWA, KANAN BIRWA, KALYAN BIRWA, KANAPA BIR

SP. NAMEPIRA CILIECTORATE AUXILIAGO EF-5460 109 39 II)

Compler Mo:1,0 Code: NO.

To:NAMEMALIT, BIKAS MISSIGN

FANA, FIN:00001

From: IAMAN KINE: , NESSADI

Wi:30grams,
FS:39.00, , 31/12/2013 , 13:52

Taxes:Rs.4.00 Grad: on wak.indiapost.y.

R. WINFPER COLLECTION E
A REVISCO 61874IN
Counter Noil, G-Code FTM India Post
TooTHE D M, NAMETER

Paddepura Collectorate S., FIM: 25211
From TARUN MISK, MEADI PROMI
Wit Morane,
Ant: 2.00 , 36/16/2013 , 12:43
(Olave a nice day)